(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 1/2013

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां
(प्रार्थी)

बनाम

चन्द्रसिंह हाडा (डीलर) ग्राम पंचायत खरखडा रामलोथान ग्राम खरखडा रामलोथान तहसील छबडा

(अप्रार्थी)

कार्यवाही अन्तर्गत राजस्थान जनमांग वसूली अधिनियम 1952

उपस्थित :– 1– श्री रूपचन्द सिंघावत अभिभाषक (प्रार्थी)
2– श्री बनेराज सिंह अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 30.9.2019

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया है कि अप्रार्थी डीलर ग्राम पंचायत खरखडा रामलोथान पंचायत समिति छबडा पर राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 2566 किलोग्राम गेहूॅ गबन किये जाने पर राशि 18501/– रूपये वसूल किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी से उक्त राशि के वसूल किये जाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां के प्रतिनिधी द्वारा दिनांक 10.9.2003 को नोटिस बाबत वसूली दिया गया। किन्तु अप्रार्थी द्वारा बकाया राशि 18501/– रूपये जमा नही करवाने के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से उक्त बकाया राशि जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के अन्तर्गत वसूली हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, अप्रार्थी से 18501/– रूपये की वसूली हेतु निवेदन किया।

इस पर प्रकरण संख्या 67/2008 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय द्वारा बाकीदार अप्रार्थी के विरूद्व राशि 18501/– रूपये बकाया होने से बाकीदार अप्रार्थी के विरूद्व धारा–4 (प्रपत्र 2) में राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट 1952 के तहत प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा अप्रार्थी को धारा–6 (प्रपत्र 3) में नोटिस जारी किया कि उसके विरूद्व एक प्रमाण पत्र राशि 18501/– रूपये काबिल वसूल होने से धारा–4 राजस्थान जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत इस

न्यायालय में विचाराधीन है। यदि आप उक्त राशि 18501/– रूपये बकाया होने के बाबत इन्कार करते है तो आप इस नोटिस की तारीख जब आपको मिले, उस तारिख से 30 दिवस के अन्दर बकाया इन्कारी की याचिका मय आवश्यक दस्तावेज के पेश करें, यदि आप उचित कारण बताने से असमर्थ रहे तो आपसे उक्त राशि की वसूली राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट के तहत मूल रकम मय ब्याज 13 प्रतिशत व 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित एक मर्तबा में वसूली जावेगी, जब तक आप रूपये 18501/– रूपये मय ब्याज व कलेक्शन चार्जेज सहित जमा नही करा देवे, तब तक आपको अपनी चल–अचंल सम्पति या उसका भाग बेचान दान अथवा अन्य किसी भी तरीके से खुर्द बुर्द करने अथवा हस्तान्तरित करने से रोका जाता है, यदि इस बीच में या आपको जब से नोटिस मिले तब से बाद में आपने अपनी जायदाद को छीपाने, हटाने व बेचने की कोशिश की तो इस प्रमाण पत्र का तत्काल निष्पादन कर दिया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी। नोटिस के साथ प्रमाण पत्र धारा –4 राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट की प्रतिलिपी भी सूचनार्थ संलग्न की गई है।

अप्रार्थी को उक्त आशय का नोटिस क्रमांक/रीडर/ए.डी.एम./09/675–676 दिनांक 11.9.2009 को जारी किया गया। जिस पर अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.7.2010 से स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी श्री चन्द्रसिंह हाडा (डीलर) ग्राम पंचायत खरखडा रामलोथान ग्राम खरखडा रामलोथान तहसील छबडा से राजस्थान जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत उनके द्वारा राशि जमा नही किये जाने के उपरान्त राशि 18501/– रूपये पर 13 प्रतिशत ब्याज व 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने हेतु प्रकरण अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां को मूल प्रमाण पत्र धारा–4 राशि 18501/– रूपये वसूली हेतु भिजवाया गया। निर्णय की प्रति जिला राजस्व लेखाकार को भिजवायी गई।

उक्त प्रकरण की अपील अप्रार्थी द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध की अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय मे करने पर, उनके द्वारा प्रकरण संख्या 6/2012 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्णय दिनांक 30.1.2012 से प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत जवाब ओर उनके द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात की विवेचना कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

इस पर प्रकरण पुनः प्रकरण संख्या 1/2013 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। उसके द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित दी गई। प्रकरण मे अप्रार्थी द्वारा दिनांक 15.10.2009 को जवाब प्रस्तुत किया गया है। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अभिभाषक की बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया कि निदेशालय सीानीय निधि अंकेक्षण दल द्वारा जांच पश्चात राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 2566 किलोग्राम गेहूॅ गबन किये जाने पर राशि 18501/– रूपये अप्रार्थी से वसूल किये जाने योग्य है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनो को दौहराते हुये कहा गया कि अप्रार्थी गाम पंचायत खरखडा रामलोथान मे डीलर शिप का काम करता था। जो मैने वर्ष 1995–96 मे के माह जनवरी 18.1.96 को 950 किलो गेहूॅ पोषाहार के जरिये ग्राम पंचायत का सहायक कर्मचारी श्री चन्दालाल माली के जरिये प्राप्त कर वितरण किया है। जिसके कूपन यदि पंचायत समिति अटरू मे नियमानुसार जमा करा दिये है। तत्पश्चात दिनांक 19.3.1996 को 14.13 केजी पोषाहार मुझे स्वंय को मिला जिसका भी वितरण कर शेष 83 केजी. बेलेन्स रहते हुए मैने पंचायत समिति अटरू के कूपन आदि रिकार्ड जमा कराने पहुॅचा तो 3 कूपन 3–3 केजी के फटे निकलने से अस्पष्ट होने की दशा मे मान्य न करते हुए मेरे पास बेलेन्स 92 कजी का शेष रहा। इसके बाद इस पंचायत की डीलर शिप से मैने दिनांक 25.5.1996 को तहसीलदार अटरू को इस्तिफा दे दिया। जिसकी नकल छायाप्रति संलग्न प्रस्तुत कर रहा हूॅ। नोटिस मे बकाया राशि 18501/– किस अवधि किस माह के पोषाहार की है। अप्रार्थी ने दिनांक 19.3.1996 के पश्चात कोई माल पोषाहार का नही उठाया है। यह जांच का बिन्दु है कि दिनांक 19.3.1996 के पश्चात पोषाहार का माल उक्त पंचायत मे मेरे सीान पर आप द्वारा नियुक्त किसी अन्य डीलर को दिया होगा, मुझे नही। इसके लिए अप्रार्थी जिम्मेदार नही है।

दिनांक 19.3.1996 को प्राप्त 14.13 केजी पोषाहार मे से शेष 92 केजी स्टॉक की कीमत भुगतान करने हेतु सहमत हूॅ। नियमानुसार इसकी जो राशि बनती है जमा कराने के लिए तैयार हूॅ। दिनांक 18.1.1996 व 19.3.1996 के स्टॉक व वितरण रजिस्टर तथा पंचायत समिति अटरू मे जमा कराये गये रजिस्टर स्टॉक व वितरण तथा कूपन की रसीद की छायाप्रति इस जवाब के साथ प्रस्तुत कर रहा हूॅ। अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

मेरे द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अभिभाषक की उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण इस निर्देश के साथ अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारॉ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अप्रार्थी के कथनो की स्टॉक रजिस्टर, वितरण पंजिका एवं कूपनो से जॉच की जावे। यदि अप्रार्थी पर आरोप सिद्व होते है तो शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/ 9(4)राज–6/2005/20 जयपुर दिनांक 8.8.2005 मे उल्लेख किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 260 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय 10 तथा राजस्थान

भू– राजस्व (भुगतान, जमा, वापसी एवं वसूली) नियम 1958 के अधीन जिला कलक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालना तथा उसकी प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग जिला परिषदो मे कार्यरत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उनकी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत बकाया राशि वसूली हेतु किया जावेगा। जिसके अनुसार नियमानुसार अप्रार्थी से राशि वसूल की जावे। निर्णय की प्रति सत्यप्रतिलिपी अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारॉ को राशि वसूली हेतु भिजवाते हुये प्रति प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखाकार जिला कार्यालय बारॉ को भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.9.2019 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.10.23 11:27:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: